

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./बी/संवि./34/2010/322

भोपाल, दिनांक 22/5/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिश्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती नीता मांडले वरि.अ. (गणित) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल जिला बैतूल	AF1658	233503777 11	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.2435दि 22.3.10	जिला पंचायत जबलपुर जिला -जबलपुर जा.क्र.1670दि 19.4.10 शा.उ.मा.वि. चरगवां	233906777 04

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।

11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


22/5/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22/5/10

पृष्ठा.क्रं./शि.क./बी/संवि./34/2010/ 323
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


22/5/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/32/2010/330
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/5/10

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - शाजापुर, इन्दौर, ग्वालियर, धार, खण्डवा,
नीमच, खरगौन, बड़वानी, भिण्ड एवं गुना ।
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के संविलियन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाई

—0—


मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अनुक्रम में माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापक संवर्ग /संविदा शाला शिक्षकों के संविलियन के निम्नानुसार संविलियन हेतु टीप/पत्र प्राप्त हुये हैं । प्रकरणों का परीक्षण उपरान्त कालम नं. 3 अनुसार कार्यवाही कर संबंधितों को आपके स्तर से अवगत करावें ।

क्र	नाम (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीप/पत्र क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क
1	2	3	
1	श्रीमती इन्द्रा कोरवें सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गावड़ी मोहन बड़ोदिया जिला-शाजापुर	जा.क. 768 दि. 11.4.10	दोनों निकाय की अनापत्ति में आवेदिका के आवेदन पत्र पर ही दी गई है । तथा संविलियन किये जाने वाली संस्था के नाम का उल्लेख नहीं है । संस्था के नाम सहित विधिवत अनापत्ति संबंधित निकायों की प्रस्तुत करने पर संविलियन की अनुमति दी जा सकती है ।
2	श्रीमती उषा द्विवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शा.मा.वि.धरमपुरी जिला-इन्दौर	जा.क. 702 दिनांक 6.4.10	संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति शाला विशेष के लिये की जाती है । अतः वर्तमान में संविलियन / स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है ।
3.	श्रीमती प्रियंका सोनकर संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 सातमील कसरवावद जिला इन्दौर	जा.क. 173 दिनांक 1.2.10	संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति शाला विशेष के लिये की जाती है।अतः वर्तमान में संविलियन/स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है ।
4	सुश्री हेमलता मनकेले अध्यापक, शा.हाईस्कूल कल्याणी वि.ख.डबरा जिला ग्वालियर	जा.क. 790 दिनांक 11.4.10	श्रीमती मनकेले की रोकी गई वेतन वृद्धि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण कर संचालनालय एवं संबंधित को अवगत करावें ।
5	श्री मंसूर खान, सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि काछी बड़ौदा तह.बदनाव । जिला धार	जा. क. 843 दिनांक 27.4.10	शासन द्वारा जारी नीति अनुसार वर्तमान में पुरुष अध्यापकों को संविलियन की नीति न होने के कारण संविलियन/ स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।



निरन्तर-2

6	श्रीमती परमेश्वरी बाधवानी सहायक अध्यापक, शा.पाठशाला रूस्तमपुर जिला-खण्डवा	जा.क. 845 दिनांक 27.4.10	दोनों निकाय की अनापत्ति तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगी।
7	श्रीमती समता बोराना अध्यापिका शा.मा.वि. बोरखेड़ीकला जिला-नीमच	जा.क. 241 दि. 1.1.10	प्रकरण जिलान्तर्गत संविलियन का होने से कार्यवाही जिला स्तर से की जावेगी। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करें।
8	श्री अनिल तायड़े वरिष्ठ अध्यापक शा.उ.मा.वि.काटकूट जिला खरगौन	जा.क. 935 दि. 3.5.2010	शासन द्वारा जारी नीति अनुसार वर्तमान में पुरुष अध्यापकों को संविलियन की नीति। होने के कारण संविलियन/स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।
9	श्री सुखदेव कनाड़े अध्यापक शा.मा.वि.देवनली,राजपुर जिला बड़वानी	जा.क. 934 दि. 3.5.2010	शासन द्वारा जारी नीति अनुसार वर्तमान में पुरुष अध्यापकों को संविलियन की नीति। होने के कारण संविलियन/स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।
10	श्रीमती ऊषा तोमर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि.बघेलन का पुरा जिला भिण्ड	जा.क. 979 दि. 8.5.2010	संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क/ए/संवि/2010/34/269-70 दिनांक 14.5.2010 द्वारा संबंधित का संविलियन आदेश जारी किया जा चुका है।
11	श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव सहायक अध्यापक शा.कन्या उ.मा.वि.आरौन जिला गुना	जा.क. 890 दि. 29.4.2010	संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति में संस्था का उल्लेख न होने के कारण संविलियन किये जाने में कठिनाई है। संस्था का नाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।


उप संचालक


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25/5/10

पृष्ठा. क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/32/2010/331

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान.मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर संदर्भित टीप/पत्रों के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक संचालक,(समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक संचालक (कंप्यूटर कक्ष) स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश